न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–381 सन् 2014

अखिलेश कमार.....वादी।

बनाम

गुड़िया खातुन वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक–13.09.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 एवं धारा–5 तथा आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 13.04.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 04 बिनोद कुमार की मृत्यु दिनांक 18.11.2021 को अपने जायज वारिसान जो आवेदन में लिखित को छोड़कर हो गई है। ऐसी परिस्थिति में समुचित न्याय हेतु उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 04 का नाम काटकर उनके उत्तराधिकारियों का नाम प्रतिवादी के खाने में जोड़ दिया जाना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 04 बिनोद कुमार का नाम कलमजद कर उनके जायज वारिसान जो आवेदन में लिखित है को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु तथा आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 04 बिनोद कुमार थे जिनकी मृत्यु दिनांक 18.11.2021.2021 को अपने जायज वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से

उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है, जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन को 200/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए एवं उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वादी खर्च की राशि नजारत (बिहार सरकार) में जमा करें।

वाद दिनांक .....को सुनवाई हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।